

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

शोभादेवी पुत्री स्व. बाबुलाल बंसल पत्नि रामदास वैष्णव निवासी मण्डफिया वगैरा
बनाम

ओमप्रकाश पुत्र स्व. घीसालाल बंसल निवासी मण्डफिया हाल नीमच (म.प्र.) वगैरा

प्रकरण संख्या 174/2024 (नि.पं.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.11.25	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता निगराकारगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित। रुक-रुक कर तीन चार बार आवाजें लगवाने पर भी निगराकारगण तथा उनके अधिवक्ता में से कोई उपस्थित नहीं। प्रकरण में विपक्षीगण की तामील अब तक शेष है। अधिवक्ता निगराकारगण ने प्रकरण प्रस्तुत करने के पश्चात् आदिनांक तक विपक्षीगण की तामील हेतु नोटिस प्रोसेस पेश नहीं किया है तथा प्रकरण में दिनांक 30.04.2025 से अनुपस्थित चल रहे हैं अर्थात् वे अपने प्रकरण के प्रति गम्भीर नहीं है। पुनः न्यायालय समय में रुक-रुक कर आवाजें लगवाई गई फिर भी निगराकारगण तथा उनके अधिवक्ता में से कोई उपस्थित नहीं। अतः प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> 	